पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम (EPA), 1986

परिचय

- 1986 में भोपाल गैस त्रासदी (1984) के बाद संसद द्वारा अधिनियमित.
- 1972 के मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के निर्णयों को लागू करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत बनाया गया.
- भारत, सम्मेलन का एक पक्ष, पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए सभी संभावित उपायों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हुआ.

अवलोकन

- अधिनियम "पर्यावरण" को व्यापक रूप से परिभाषित करता है, जिसमें जल, वायु, भूमि और इनकी आपसी संबंध, मानव और अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्मजीव और संपत्ति शामिल हैं.
- खतरनाक कचरे के प्रबंधन और हैंडलिंग पर नियम शामिल हैं.
- हैंडलर्स की जिम्मेदारियां, निपटान स्थलों की शर्तें, दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग, पैकेजिंग और लेबलिंग आवश्यकताएं, और अधिकरण प्रक्रिया को परिभाषित करता है.
- खतरनाक रसायनों, सूक्ष्मजीवों, आनुवंशिक रूप से इंजीनियर जीवों या कोशिकाओं के निर्माण, भंडारण और आयात पर नियम शामिल हैं.
- यह केंद्रीय और राज्य प्राधिकरणों की गतिविधियों के समन्वय के लिए एक छत्र कानून के रूप में कार्य करता है.

प्रावधान

- 4 अध्यायों और 26 धाराओं वाला छोटा अधिनियम.
  - **अध्याय 1**: प्रारंभिक पहलुओं और परिभाषाओं पर केंद्रित.
  - **अध्याय 2**: पर्यावरण गुणवत्ता में सुधार के लिए केंद्रीय सरकार को सामान्य शक्तियां.
  - **अध्याय 3**: प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निरोध के संबंध में प्रावधान; दंड प्रावधान शामिल हैं.
  - **अध्याय 4**: विविध पहलुओं पर केंद्रित.
- धारा 3 से 6 केंद्रीय सरकार की पर्यावरण संरक्षण से संबंधित सामान्य शक्तियों को निर्दिष्ट करती हैं.
- केंद्रीय सरकार के पास निम्नलिखित शक्तियाँ हैं:
  - कुछ उद्योगों, प्रक्रियाओं और संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए.
  - पर्यावरण प्रयोगशालाओं की स्थापना और मान्यता, और सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति और मान्यता.

पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986

- पर्यावरण गुणवत्ता की सुरक्षा और सुधार और प्रदूषण की रोकथाम के लिए पेश किए गए.

- उद्योगों, प्रक्रियाओं या संचालन के लिए उत्सर्जन या निर्वहन मानकों को निर्दिष्ट करते हैं (अनुसूची I से IV में उल्लिखित).

हाल के संशोधन

- **छठे संशोधन नियम, 2023**:
  - ईंट भट्टियों को विनियमित करता है.
  - ज़िग-ज़ैग तकनीक, ऊर्ध्वाधर शाफ्ट, या पाइप्ड प्राकृतिक गैस का उपयोग अनिवार्य करता है.
- **ड्राफ्ट सातवें संशोधन नियम, 2023**:
  - पल्प और पेपर उद्योग के लिए मानक स्थापित करता है.
  - अपशिष्ट मानक, ताजे पानी की खपत, अपशिष्ट निर्वहन मानक, और उत्सर्जन मानक शामिल हैं.

पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)

परिचय

- EIA एक प्रबंधन उपकरण है जो सतत विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करता है.
- भारत में नदी घाटी परियोजनाओं के प्रभाव आकलन के साथ 1978-79 में शुरू हुआ.
- EIA का दायरा उद्योगों, ताप विद्युत परियोजनाओं, खनन योजनाओं आदि को शामिल करने के लिए बढ़ाया गया.
- EIA अधिसूचना 2006 द्वारा शासित, तीव्र औद्योगिकीकरण के प्रभावों को कम करने और जलवायु परिवर्तन की प्रवृत्तियों को उलटने का उपकरण.
- 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक के निवेश वाली 29 श्रेणियों की गतिविधियों के लिए अनिवार्य.

पर्यावरणीय मूल्यांकन समितियां

- क्षेत्रों के लिए विशेषज्ञ समितियां:
  - खनन परियोजनाएं
  - औद्योगिक परियोजनाएं
  - ताप विद्युत परियोजनाएं
  - नदी घाटी परियोजनाएं
  - बुनियादी ढांचा विकास
  - परमाणु शक्ति परियोजनाएं
- प्रक्रिया:
  - तकनीकी स्टाफ द्वारा आवेदन की जांच.
  - समितियों द्वारा डेटा, स्थल निरीक्षण या मूल्यांकन के आधार पर परियोजना का मूल्यांकन.
  - स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए सिफारिशें.

KHAN GLOBAL STUDIES Most Trusted Learning Platform KHAN SIR

EIA प्रक्रिया

- **स्क्रीनिंग**: EIA की आवश्यकता और स्तर का निर्धारण करता है.
- **स्कोपिंग**: संदर्भ की शर्तों का विवरण, EIA में महत्वपूर्ण प्रभावों का निर्धारण.
- **बेसलाइन डेटा**: मौजूदा पर्यावरणीय स्थिति का वर्णन; प्राथमिक और द्वितीयक डेटा शामिल.
- **प्रभाव भविष्यवाणी**: महत्वपूर्ण पहलुओं के पर्यावरणीय परिणामों का मानचित्रण.
  - वायु गुणवत्ता, शोर और जल गुणवत्ता
  - वनों की कटाई और पशु आवास संकुचन
  - सामाजिक आर्थिक प्रभाव जैसे जनसांख्यिकीय परिवर्तन
- **विकल्पों का मूल्यांकन और शमन उपाय**: परियोजना विकल्पों की पहचान और तुलना.
  - कोई परियोजना विकल्प शामिल.
- **जन सुनवाई**: कानून के तहत जनता को सूचित और परामर्श देना.
  - राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा आयोजित.
- **निर्णय लेना**: परियोजना प्रस्तावक और मूल्यांकन प्राधिकरण के बीच परामर्श.
- **निगरानी**: पर्यावरण मंजूरी के बाद सुरक्षा उपायों का कार्यान्वयन.

EIA नियमों में संशोधन (जुलाई 2022)

- कुछ रणनीतिक और रक्षा महत्व की सड़क परियोजनाओं को पर्यावरण मंजूरी से छूट.
  - चार धाम परियोजना शामिल.
- 15 मेगावाट तक के जैवमास आधारित ताप विद्युत संयंत्र छूट.
- कम प्रदूषण क्षमता वाले मछली बंदरगाहों और बंदरगाहों को छूट.
- चौड़ीकरण के लिए टोल प्लाजा को छूट.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)

परिचय

- 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत स्थापित.
- पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का त्वरित निपटान.
- पर्यावरण संबंधी कानूनी अधिकारों का प्रवर्तन, राहत और क्षतिपूर्ति शामिल.

कार्यप्रणाली

- विशेष त्वरित न्यायालय के रूप में कार्य करता है.
- प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से बाध्य नहीं.
- NGT अधिनियम की अनुसूची I में उल्लिखित कानूनों पर निर्णय करने की शक्ति:

- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974
- जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977
- वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
- वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981
- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986
- सार्वजनिक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991
- जैव विविधता अधिनियम, 2002

- भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972, और राज्यों के वन संरक्षण संबंधित कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई से वंचित.

संरचना

- अध्यक्ष एक सेवानिवृत्त सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश.
- न्यायिक सदस्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश.
- प्रमुख पीठ दिल्ली में, अन्य पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में.

महत्व

- पर्यावरणीय मुद्दों, वन संरक्षण, और कानूनी पर्यावरणीय अधिकारों से संबंधित मामलों को संभालता है.
- पर्यावरणीय क्षति के लिए राहत और क्षतिपूर्ति प्रदान करता है.
- उच्च न्यायालयों पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करता है.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वस्थ पर्यावरण के अधिकार का समर्थन करता है.

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR